दिनांक 17.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 28/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना पनकी

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 49 किलो 800 ग्राम निकिल बरामद**

दिनांक 16.05.2025 को थाना पनकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना महम जनपद रोहतक, हरियाणा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रमेश उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 49 किलो 800 ग्राम निकिल बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पनकी पर पंजीकृत चोरी के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर व हरियाणा प्रान्त के थाना महम पर चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पनकी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमेश उर्फ काला निवासी भैणी महाराजपुर थाना महम जनपद रोहतक, हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी के 49 किलो 800 ग्राम निकिल।

जनपद महोबा/थाना खन्ना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.05.2025 को थाना खन्ना व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इलाहीपुरवा तिराहा, सर्विस रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाश

को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खन्ना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दीपक निवासी नया बस स्टैंड के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद बागपत/थाना बिनौली</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.05.2025 को थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त निर्भय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिनौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का

पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बागपत के थाना बिनौली पर चोरी, हत्या, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निर्भय निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत।

जनपद बांदा/थाना नरैनी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के माल बिक्री से प्राप्त 11 हजार 600 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन**
- **03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 16/17.05.2025 की रात्रि थाना नरैनी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पनगरा नहर के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तों 1–शीबू 2–रवि 3–अरूण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के माल बिक्री से प्राप्त 11 हजार 600 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्रान्तर्गत चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शीबू निवासी बांदा रोड कस्बा व थाना नरैनी जनपद बांदा।

2—रवि निवासी राजनगर कस्बा व थाना नरैनी जनपद बांदा।

3—अरूण निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1—चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—चोरी के माल बिक्री से प्राप्त 11 हजार 600 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

4—03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना भीरा

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.05.2025 को थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस्तौली से अलीगंज जाने वाली नहर पटरी पर हरैय्या के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गुड्डू उर्फ आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली, खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भीरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुड्डू उर्फ आलम निवासी ग्राम भिन्डोलिया थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

बरामदगी

1– चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.05.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–दिनेश उर्फ होलू 2–संदीप 3–पीतम उर्फ पीताम्बर 4–धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें अभियुक्त दिनेश उर्फ होलू के विरूद्ध जनपद सम्भल, अलीगढ, हापुड, बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर आदि के लगभग डेढ दर्जन अभियोग व अभियुक्त संदीप के विरूद्ध जनपद सम्भल, हापुड, बुलन्दशहर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के डेढ दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त पीतम उर्फ पीताम्बर के विरूद्ध जनपद सम्भल, हापुड, बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश उर्फ होलू निवासी ग्राम किरारी थाना बहजोई जनपद सम्भल।

2–संदीप निवासी ग्राम न्यौरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

3–पीतम उर्फ पीताम्बर निवासी ग्राम अमरपुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

4–धर्मवीर निवासी ग्राम सैंडोरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

- **जनपद जालौन/थाना आटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना आटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शेर सिंह को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बागपत/थाना बिनौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बिनौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–रोबिन उर्फ रविकान्त उर्फ रेबिन 2–अमित उर्फ मीत 3–राहुल को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना पन्नूगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 20–20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना पन्नूगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 5जी/6पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–चन्दन कुमार 2–बालेश्वर उर्फ दिनेश को 20–20 वर्ष कठोर कारावास व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना नगरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना नगरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजा को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————